FORM NO. 123

फर्द अहकाम

(आदेश–24 नियम–07)

अज अदालत :– **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** मुकाम **प्रतापगढ (राजस्थान)**

वाद संख्या **नियमित दाण्डिक** संख्या **1912 वर्ष 2019**

पक्षकार **जगदीश** बनाम **जय कुमार**

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालना की संक्षिप्त टिप्पणी
	दिनांकः 26.08.2025 परिवादी जगदीश मय अधिवक्ता श्री कपिल तेल उपस्थित। अभियुक्त जय कुमार अनुपस्थित, जिसका जारीशुदा गिरफ्तारी वारन्ट पुलिस थाना प्रतापगढ से कानि. विश्राम नं. 138 ने इस रिपोर्ट के साथ पेश किया गया कि अभियुक्त के घर पर गया तो पडोसियो ने बताया कि अभियुक्त करीब 6–7 सालो से सकुनत से कही चला गया है जिसका कोई अता पता नही है। रिपोर्ट के साथ चल अचल सम्पति की रिपोर्ट व वार्ड पार्षद की तस्दीक पेश की। तामील कुनिन्दा विश्राम नं. 138 थाना प्रतापगढ के बयान सी.ड. 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 04.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त के सम्मन दिनांक 04.12.2019 से 12.09.2024 तक लगातार पेशियों पर जारी किये गये किन्तु अभियुक्त के उपस्थित नही होने पर दिनांक 19.11.2024 को उसे जमानती वारन्ट 5000/– से तलब करने का आदेश दिया गया। दिनांक 19.11.2024 से 22.07.2025 तक अभियुक्त के जमानती वारन्ट जारी किये गये किन्तु अभियुक्त के उपस्थित नही होने पर दिनांक 01.08.2025 को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब करने का आदेश दिया जाकर दिनांक 01.08.2025 व 13.08.2025 को गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये गये। इसके बावजुद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश नही किया गया। आज दिनांक को भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश नही किया गया तथा जारीशुदा गिरफ्तारी वारन्ट इस रिपोर्ट के साथ पेश किया गया कि अभियुक्त के घर पर गया तो पडोसियो ने बताया कि अभियुक्त करीब 6–7 सालो से सकुनत से कही चला गया है जिसका कोई अता पता नही है। रिपोर्ट के समर्थन में अभियुक्त की चल अचल सम्पत्ति की तस्दीक व वार्ड पार्षद की तस्दीक पेश की है तथा तामील कुनिन्दा ने अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्त काफी समय से उक्त अपने घर पर नही रह रहा है वह कहॉ गया इसकी कोई जानकारी नही है। अभियुक्त के बारे में पार्षद से भी पता किया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त 6–7 सालो से सकुनत पर नही	

	है एवं यहॉ से चला गया है। इससे यह प्रतित होता है कि अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागता फिर रहा है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नही है। प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित होकर काफी पुराना है। अभियुक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति से बचता फिर रहा है जिससे उसके गिरफ्तारी वारंट की तामिल नहीं हो पा रही है तथा अभियुक्त के निकट भविष्य में उपस्थित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त जय कुमार को प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावें। स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट पर अभियुक्त की न्यायालय में प्रथम बार उपस्थिति का नोट अंकित किया जावे। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 84–85 बीएनएसएस की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट पर नोट लगाया जावे कि उक्त वारन्ट थाने के मफरूरी रजिस्टर में दर्ज कर दर्ज क्रमांक इस न्यायालय में पेश करें। इस स्टेज पर उक्त प्रकरण अभियुक्त के मफरूर होने से फैसल शुमार किया जाता है। पत्रावली के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण में अभियुक्त मफरूर है अतः पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावें।	